लोक कल्याणकारी राज्य

'कल्याणकारी राज्य' शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग आर्कबिशप टेम्पल ने अपनी पुस्तक 'सिटीजन एण्ड चर्चमेन' में तानाशाहों के 'सत्तावादी राज्य' शब्द के विरोध में किया। इस पुस्तक में व्यापक गंदगी, अशिक्षा, बीमारी, गरीबी तथा बेकारी दूर करने में राज्य की सक्रिय भूमिका की ओर संकेत किया गया है।

कल्याणकारी राज्य न तो व्यक्तिवादी है न राज्य को साध्य मानता है। यह 'पितृवादी राज्य' से भी भिन्न है जो अपने बच्चों की कोमल संवेदनाओं की चिंता किए बिना ही उनके कल्याण के लिए कार्य करता है। बल्कि लोक कल्याणकारी राज्य व्यक्ति की सकारात्मक भलाई का अभिकरण है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता का नाश किए बिना नागरिकों को बृहत्तर कल्याणकारी सेवाएं प्रदान करता है। Green के चिंतन में कल्याणकारी राज्य का पूर्वाभास है। लेकिन कल्याणकारी राज्य की स्थापना का श्रेय 1943 में प्रकाशित लार्ड बेवरिज की रिपोर्ट को दिया जाना चाहिए जिसने पांच बड़ी बुराइयों बीमारी, बेरोजगारी, अज्ञानता, भुखमरी तथा आश्रयाभाव के उन्मूलन में राज्य के हस्तक्षेप को आवश्यक माना। लार्ड एटली की लेबर सरकार ने बेवरिज रिपोर्ट को लागू किया अतः England को कल्याणकारी राज्य का घर माना जाता है।

England में Laski, U.S.A. में McIver ने यह आग्रह किया कि सामाजिक रूप से उपयोगी सेवाओं का प्रावधान करे। इसी प्रकार L.T. Hobbhouse,

Booker तथा Keins आदि ने राज्य की कार्यवाही आर्थिक अधिकाधिक विनिमय को उचित ठहराया ताकि सामाजिक विषमता को दूर किया जा सके।

डा० अब्राहम — के अनुसार — " वह लोक समाज जहाँ राज्य की शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि आर्थिक प्रणाली को इस प्रकार मोड़ा जा सके कि हर व्यक्ति को आय का समान अंश मिले।" — T. W. KENT के शब्दों में — "कल्याणकारी राज्य वह राज्य है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है।" हाबमैन — के अनुसार कल्याणकारी राज्य को पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संतुलन मानते हैं।

कल्याणकारी राज्य की विशेषताएं

1- सामाजिक और लोक कल्याण को अभिवृद्ध करना
2- राज्य का लक्ष्य व्यापार नहीं बल्कि सेवा है।
3- सामान्यतः मिश्रित अर्थव्यवस्था।
4- अर्थनीति और राजनीति में अभिवृद्ध जनभागीदारी।
5- सामाजिक सुरक्षा - Social security को अभिवृद्ध करना।
6- आर्थिक सुरक्षा की वृद्धि.
7- सामाजिक - विकास और परिवर्तन की प्रगति।
8- सार्वजनिक स्वास्थ्य - की उपलब्धता.
9- अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था.
10- बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों की सुविधाएं.
11- महिलाओं, बच्चों व वंचित वर्गों का विकास.
12- विवादों और आर्थिक विषमता को दूर करना आदि।